



## कार्यालय कलेक्टर जिला – कोरबा (छत्तीसगढ़) एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

### —:: प्रारंभिक अधिसूचना ::—

क्रमांक / 4500 / भू-अर्जन / 2025

कोरबा, दिनांक 04-04-2025

क्रमांक 201902050400023 / अ-82 / 2020-21 – चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की समावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संवधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद् द्वारा, अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्रधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

#### अनुसूची

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
कोरबा	पाली	कोडार /07	114/1	0.017	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग पेन्ड्रा रोड बिलासपुर	रैनकोटा जलाशय योजना के अंतर्गत डूवान क्षेत्र में आने वाली भूमि का अर्जन
			115/1	0.061		
			116/1	0.013		
			193/1	0.526		
			195/1	0.272		
			114/2	0.016		
			115/2	0.061		
			116/2	0.013		
			193/2	0.526		
			195/2	0.273		
			114/3	0.016		
			115/3	0.060		
			116/3	0.014		
			193/3	0.526		
			195/3	0.272		
			179	0.073		
			180/1	0.364		
			180/2	0.121		
			186	0.024		
			188/1	0.405		
			188/2	1.590		
			201	0.567		
			202	0.227		
			223/1	0.036		
			223/2	0.036		
योग:-			25 खसरे	6.1090	-	

2.यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त भूमि में कोई हितबद्ध व्यक्ति इस अधिमूदन के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्ताता, लोक प्रयोगन के औचित्य तथा सामाजिक समाधात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा /आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उम्मीद (१) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3.भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पाली के कार्यालय में किया जा सकता है।

4.प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

5.प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराए गए सामाजिक समाधात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाधात की तुलना में लाभ अधिक होना पाया गया है।

6.प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पाली जिला कोरबा के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)  
एवं भू-अर्जन अधिकारी पाली  
जिला- कोरबा (छ.ग.)

(अजनक वसंत)  
कलेक्टर  
जिला - कोरबा (छ.ग.)  
एवं पदेन उप सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग